

## राज्यपाल ने इंदरिा कला संगीत वशिववदियालय अधनियिम (संशोधन) वधियक पर कयि हसुताकषर

### चरुा में क्यौं?

20 जनवरी, 2022 को छतुतीसगढ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इंदरिा कला संगीत वशिववदियालय अधनियिम, 1965 (कर. 19 सन 1956) में संशोधन हेतु परसतुत वधियक पर हसुताकषर कर दया ।

### परमुख बदि

- इस अधनियिम की धारा 12 में संशोधन कया गया है क इंदरिा कला संगीत वशिववदियालय अधनियिम 1956 (कर. 19 सन 1956) की धारा 12-क की उपधारा (2) के परंतुक में, अंक '65' के स्थान पर, अंक '70' परतसुथापति कया जाए । अरुथात् इंदरिा कला संगीत वशिववदियालय के कुलपति की आयु सीमा 65 वर्ष के स्थान पर 70 वर्ष होगी ।
- यह अधनियिम इंदरिा कला संगीत वशिववदियालय (संशोधन) अधनियिम, 2021 कहलाएगा । इसका वसुतार संपूरण छतुतीसगढ राज्य में होगा । यह राजपत्र में इसके परकाशन की तारीख से परवृत्त होगा ।